>

Title: Need to look into the problems being faced by the opium growers in Madhya Pradesh.

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, ओपियम की खेती ऐसी है जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अधीन होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर तथा नीमच जिले, राजस्थान के कतिपय जिले जिनमें झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र प्रमुख हैं तथा उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जहां अफीम की काश्त लाइसेंस के आधार पर होती है, वहां फसल में भयंकर रोग लगा है जबकि निर्धारित औसत सरकार को ही देनी होती है। अगर सरकार को निर्धारित औसत नहीं देते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाता है और वे अगले वर्ष खेती करने योग्य नहीं रह जाते हैं। इस दशा में प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल में जो रोग लगे हैं उनका कोई उपचार नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि जो औसत केंद्र सरकार को दी जाने वाली है उसमें कमी की जाए क्योंकि इस खेती में हजारों किसान लगे हुए हैं। केवल मध्य प्रदेश में 50,000 किसान हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार इसमें लगे हुए हैं। इन परिवारों पर किसी प्रकार का संकट न आए। वे आगामी वर्ष के लिए फिर से लाइसेंस प्राप्त कर खेती कर सकें और अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अन्यथा किसानों के सामने मरण स्थिति पैदा हो जाएगी और वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार का वित्त मंत्रालय का नारकोटिक्स विभाग इस तरफ ध्यान दे।